कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–816/२२५) नया रायपुर, दिनांक ०७/12/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Korea Division" Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM. The laying of Optical Fiber Cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.746 ha. regarding.**
पंजीयन क्रमांक –**FP/CG/OFC/42198/2019**

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–24/ 2020/ 10–2 दिनांक 09.10.2020
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र.–131/ 2020/ 1983 दिनांक 03.12.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का अनुरोध है। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 6 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाहते हुए विषयांकित प्रकरण का वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये इस कार्यालय से प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 14.09.2020 मूलतः वापस किया गया है।

उक्त 6 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है:–

क.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1	आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 4 से 8 मे दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 105 टुकडों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्र. को अनेक बार आवेदित किया गया है। (जैसे कक्ष क्र. 461 दो बार, 570 दो बार, 572ए 3 बार एवं पी 576 का विवरण 4 बार दिया गया है) इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नही हो रहा है, कि उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है। उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग–II) में आवेदित उक्त वनभूमि का रकबा को कक्ष वार एकजाई कर दी गई तालिका अनुसार प्रदाय करें।	प्रस्तातिव ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य में केबल लाईन कोई एक वन कक्ष में एक से अधिक बार गुजरने की स्थिति में कक्ष के अलग – अलग भूखण्डों की गणना अलग – अलग की गई है। अतः एक ही कक्ष की प्रविष्टि अनेक बार की गई है। कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ0ग0 का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115 – 829/1783 नवा रायपुर दिनांक 07.10.2020 तथा छ0ग0 शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ–5–8 /2020 /10–2 दिनांक 21.09.2020 के परिपालन में बिन्दु – 3 में उल्लेखित 10 कॉलम मय तालिका अनुसार प्रत्येक वन कक्ष का कुल आवेदित रकबा दर्षाते हुए

	उक्त तालिका में कक्ष क. की पुनरावृत्ति नही होगी। तथा आवेदित वन भूमि का विवरण कक्षवार एकजाई हो सकेगा जिससे राज्य शासन से जारी किए जाने वाले अनुमति पत्र में एक कक्ष के कुल एकजाई रकबा का एक बार वर्णन दर्ज हो सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है, कि भारत नेट परियोजना फेस के तहत राज्य शासन को प्रेषित किये जा रहे भारत नेट परियोजना के समस्त प्रकरणों में इसी तरह का (आवेदित वन क्षेत्र) विवरण भेजा जा रहा है। पूर्व में धमतरी वनमण्डल के प्रकरण में भी ऐसा ही विवरण होने पर आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि को मंत्रालय में उपस्थित किया जाकर उपरोक्तानुसार सुधार करवाया गया तथा समझाईश दी गई कि, आगामी प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में इसकी पुनरावृत्ति न हो किन्तु उक्त त्रुटि का सुधार नही हो पा रहा है। उपरोक्त त्रुटि को संशोधित कर राज्य शासन को भेजे जाने वाले प्रकरणों में भी उक्त त्रुटि को सुधार कर संशोधित करना सुनिश्चित करें।	विवरण, संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **संलग्न :– पेज क. 01 से 04 तक।**
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क. 9 में गैर वन क्षेत्र हेतु 18.04 हे. प्रभावित दर्शाया गया है। उक्त क्षेत्र का विस्तृत विवरण संलग्न प्रेषित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न आनलाईन फार्म–I, पार्ट–01 में ग्रामवार गैर वन क्षेत्र का विवरण उल्लेख किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः जानकारी प्रेषित है । **संलग्नः– पेज क. 05 से 11 तक।**
3	संदर्भित पत्र के बिन्दु क. 11 के अनुसार वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से कम है किन्तु प्रस्ताव पृष्ठ क. 55 में प्रदायित वनमण्डलाधिकारी के अनुशंसा (भाग–2) के बिन्दु क. VI अनुसार वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से अधिक है।	वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 55 में प्रदायित (भाग – 2) के बिन्दु क्रं. VI में घनत्व 0.5 से अधिक है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ0ग0 के पत्र क्र./ भू–प्रबंध/विविध/115–827/1529 नवा रायपुर दिनांक 18.08.2020 के बिन्दु क्रं. 11 में घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है। जो कि टंकण त्रुटि है, उक्त त्रुटि को संबंधित कार्यालय से संशोधित किया जावेगा। उक्त के संबंध में भू–प्रबंध प्रभाग से कथन है कि टंकण त्रुटि की वजह से ही घनत्व 0.5 से कम टंकित हुआ है। घनत्व 0.5 से अधिक मानकर कार्यवाही करने का अनुरोध है। **संलग्न :– पेज क. 12 से 15 तक।**
4	प्रस्ताव के पृष्ठ 76 में लेख है कि 7 मार्ग (लम्बाई 39.719 किमी. तथा क्षेत्रफल 1.986 वर्ग कि.मी.) गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि.मी. के परिधि के अंतर्गत स्थित है । कृपया इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्राप्त प्रेषित करें।	आवेदक विभाग द्वारा यह लेख किया गया है कि आवेदित क्षेत्र गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि0मी0 के परिधि के अंतर्गत स्थित है। प्रस्तावित ओ.एफ.सी. रूट विद्यमान मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही किया जावेगा केबल बिछाने के कार्य भूमिगत सामानांतर ड्रिलिंग तकनीक से वन अधिकारियों की जानकारी एवं देख–रेख में किया जावेगा जिससे वन्यप्राणी एवं जैव विविधता को किसी प्रकार की क्षति न हो। आवेदित क्षेत्र गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर से या उसके

		सीमा से होकर नही गुजर रहा है। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नही है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ 78 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र रकबा 4.680 हे. के लिए प्रदाय किया गया है। जबकि आवेदन कुल 4.746 हे. हेतु आवेदित है।	कलेक्टर जिला कोरिया द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् केवल वनभूमि का रकबा 4.680 हें. के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है जबकि कुल आवेदन 4.746 हें. हेतु आवेदित है। शेष राजस्व वनभूमि रकबा 0.066 हें. के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने हेतु आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।
6	संदर्भित पत्र के बिन्दु क. 21 में लेख किया गया है, कि राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर से ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा आवश्यक नही है। कृपया भारत सरकार के दिशा निर्देश क. 6–175/2017 WL दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन करे। इसमें उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रं. 6–175/2017 WL दिनांक 19.02.2018 में उल्लेख किया गया है कि ऑप्टिकल फाईबर केबल मार्ग के राईट ऑफ वे में राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य, टाईगर रिजर्व या अन्य संरक्षित क्षेत्र जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो, के अंदर से बिछाये जाने के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। **संलग्न :– पेज क. 16 से 17 तक।**

उपरोक्तानुसार आवेदक संस्थान से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– संदर्भित पत्र मूलतः (**26** पृष्ठीय)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 816/ 2242 रायपुर, दिनांक 09 /12/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, कोरिया वन मंडल, कोरिया, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़